भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

नि | 3092 / I / 15

न्यायालय :– मान. राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क.   / 2015 निगरानी

मलखान पुत्र हल्लू जाति कोरी
निवासी ग्राम हथरिया तहसील जौरा जिला मुरैना म.प्र.

––– आवेदक

बनाम

1. माला पत्नी स्व. श्री चिरोंजी
   निवासी ग्राम हथरिया तह. जौरा जिला मुरैना
2. फूलवती पत्नी राजबहादुर निवासी ग्राम मईनिधान तह. जौरा जिला मुरैना
3. शीला पत्नी ब्रिन्दावन निवासी ग्राम तोरिका तह. कैलारस जिला मुरैना

––– अनावेदकगण

श्री एस.पी. धाकड़ एडवोकेट द्वारा आज दि. 14/09/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-9-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 119/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.08.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, तह. जौरा ग्राम हथरिया में स्थित प्रशनाधीन भूमि सर्वे क्र. 651 रकवा 0.71 है., 652 रकवा 0.19 है., 654 रकवा 0.03 है., 646 रकवा 0.49 है., 647 रकवा 0.44 है., 648 रकवा 0.01 है., 649 रकवा 0.62 है., 480 रकवा 0.30 है., 481 रकवा 0.15 है., 482 रकवा 0.15 है. कुल किता 10 कुल रकवा 3.09 है. है। जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी चिरोंजी एवं हल्कू जाति कोरी निवासी ग्राम हथरिया तह. जौरा जिला मुरैना है। जो समान भाग के भूमि स्वामी हैं। आवेदक के पिता के बडे भाई रिस्ते में ताऊ हैं। मृतक चिरोंजी ने अपने जीवन काल में प्रार्थी के नाम एक वसीयतनामा दिनांक 31.12.2009 से सम्पादित किया था मृतक भूमिस्वामी चिरोंजी की मृत्यु होने के पश्चात तह. न्यायालय जौरा के समक्ष अंतिम इच्छापत्र के आधार पर संहिता की धारा 109/110 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर से प्र.क. 06/अ–6/10–11 पर पंजीवद्ध किया जा कर विधिवत् उद्योषणा जारी की गई आपत्तियॉ आहूत की गई। समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई साक्ष्य प्रतिसाक्ष्य

R-3092. ही/15 मुदत (23)

જોયા । આગામી વિધિ તથા મુદતે ફાઈલ
જાગે ઉપયોગ ની ફાઈલ રજુ કરવા

છે।

તા.ક.
18.12.15

[signature]
મામલતદાર
[illegible]

પુ:..
આવેદનપત્ર સહિત રજુ
અરજદાર દ્વારા વિધિવત આવેદનપત્ર
મુજબ ના પુરાવા સાથે [illegible]
ભરે ના [illegible] જોયા । મળેલ છે
વિચાર ઉપરાંત આવેદન મા... 03/12/2015
કરવા જવા છે । આગળ ની
[illegible] [illegible] જાવા

[signature]
મદદનીશ

3.12.15